जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांकः ज.वि.प्रा./अति.मु.न.नि./बी.पी.सी./2013/डी–2127 दिनांकः– 27/9/2013

कार्यवाही विवरण

विषय :– भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 146वीं बैठक दिनांक 18.09.2013 को सांयः 3.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई, जिसमें निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट–''1'' पर है।

क्र. सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	निर्णय
1	146.1	भवन मानचित्र समिति (बीपी) की 144वीं बैठक दिनांक 03.09.2013 को सम्पन्न हुई, के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों के क्रियान्विति की समीक्षा अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। भवन मानचित्र समिति (बीपी) की 145वीं बैठक दिनांक 11.09.2013 को सम्पन्न हुई, जिसका कार्यवाही विवरण अभी जारी नहीं किया गया है।	बी.पी.सी. (बिल्डिंग प्लान) की 144वीं बैठक दिनांक 03.09.2013 को सम्पन्न हुई, के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों के क्रियान्विति पर संतोष व्यक्त किया गया। बी.पी.सी. (बिल्डिंग प्लान) की 145वीं बैठक दिनांक 11.09.2013 को सम्पन्न हुई, के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों के क्रियान्विति की समीक्षा आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।
2.	146.2	भूखण्ड संख्या 3–ए, ग्रुप हाउसिंग व व्यावसायिक योजना, बाईपास रोड़, जवाहर सर्किल के पास के संस्थानिक भवन (अस्पताल) के संशोधित मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गयेः– 1. अपर व लोअर बेसमेंट व अन्य तलों पर व खुले क्षेत्र पर एफ.ए.आर. क्षेत्र के 7 प्रतिशत से अतिरिक्त निर्मित सर्विसेज को एफ.ए.आर. गणना में शामिल किया जावे। 2. मौके पर पश्चिमी ओर भूतल पर निर्मित आर्किटेक्चरल फीचर की ऊँचाई 42.0 मीटर दर्शाई गई है। बी.पी.सी. (बी.पी) दिनांक 16.09.2010 में लिये गये निर्णय के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार प्रस्तावित ऊँचाई 37.46 मीटर स्वीकृत की गई थी। आवेदक का प्रतिनिधि समिति के समक्ष उपस्थित होकर अवगत करवाया कि उक्त आर्किटेक्चरल फीचर मौके पर 37.46 मीटर ऊँचाई का ही निर्मित है, जिस पर समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त आर्किटेक्चरल फीचर का मौका निरीक्षण अधिशाषी अभियन्ता, बीपीसी द्वारा किया जावे एवं 37.46 मीटर से

			अधिक ऊँचाई पाये जाने पर नागरिक उड्डयन विभाग का प्रमाण–पत्र लिया जावे। 3. भूतल पर सेटबैक क्षेत्र में गार्डरूम के अलावा विजिटर्स लॉन्ज, लोकर/क्लाक रूम बने हुए है। भवन विनियम 2010 में सेटबैक क्षेत्र में केवल गार्डरूम स्वीकृत योग्य है। अतः इसे स्वीकृत किया जावे तथा विजिटर्स, लॉन्ज, लोकर/क्लाक रूम को हटवाया जावे। 4. प्रस्तुत मानचित्र आर्किटेक्ट श्री कमल शर्मा द्वारा प्रस्तुत किए गए है। पूर्व में अनुमोदित मानचित्र श्रीमती स्मिता वरनगांवकर द्वारा प्रस्तुत किये गये थे। आर्किटेक्ट की निर्धारित प्रारूप में वांछित अण्डरटेकिंग ली जावे। 5. मानचित्र में सर्विस तल का प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही गणना शीट प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत सॉफ्ट कॉपी (सी.डी.) से गणना चेक की गई है। भवन विनियम 2010 के अनुसार पूरी चौड़ाई में कॉरीडोर व 7 प्रतिशत सर्विसेज की छूट देते हुए एफ.ए.आर. गणना की गई है, जिसे समिति द्वारा स्वीकार किया गया। 6. तृतीय तल पर मानचित्र में दर्शाए गए सर्क्यूलर कट आउट को स्टील प्लेटस से कवर किया गया है जिससे भूतल आच्छादन प्रभावित होगा जिसके लिए आवेदिका द्वारा निवेदन किया गया है कि यह आर.सी.सी. निर्माण नहीं है। जिस पर समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त क्षेत्र को कवर्ड मानते हुए इसकी गणना आच्छादन क्षेत्र में की जावे। 7. मानचित्रों में 64 कार बेसमेन्ट में, 47 खुले में सरफेस पर तथा 60 मैकेनिकल कुल 161 कार व 184 दुपहिया वाहन कुल 222.33 ई.सी.यू. प्रस्तावित है, जो अपेक्षित पार्किंग से कम है। अतः नियमानुसार 9 सरफेस कार पार्किंग का प्रावधान सुनिश्चित करवाया जावे एवं मौके पर मैकेनिकल पार्किंग स्थापित करवाई जावे। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।
3.	146.3	पुनर्गठित भूखण्ड संख्या 12, 13, 175 से 179, निर्माण नगर, एबी, डी.सी.एम, अजमेर रोड़,	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया

		जयपुर के प्रस्तावित आवासीय फ्लैटस के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	कि भवन विनियमानुसार पार्किंग का प्रावधान करवाया जावे। तदोपरान्त प्रकरण को पुनः आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।
4.	146.4	निजी खातेदारी की कृष्णा कुंज योजना, ग्राम–गोकुलपुरा, तहसील–जयपुर, कालवाड़ रोड़ में क्लब हाउस भूखण्ड़ में क्लब के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गयेः– 1. खुले में प्रस्तावित पार्किग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तो की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।
5.	146.5	पुर्नगठित भूखण्ड़ संख्या ए–80 से ए–82 एवं ए–90 से ए–92, नेमी नगर विस्तार, वैशाली नगर के पास, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय अपार्टमेन्ट के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गयेः– 1. स्टिल्ट फ्लोर, लोअर एवं अपर बेसमेन्ट पर प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तो की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे। 3. पुर्नगठित भूखण्ड़ होने के कारण भवन विनियम 2010 संशोधित 2012 के बिन्दु संख्या 8.10 (8) अनुसार मानक एफ.ए.आर. 1.20 से अधिक 2.25 एफ.ए.आर. तक 25 प्रतिशत व 2.25 एफ.ए.आर. से अधिक 2.75 एफ.ए.आर. तक आरक्षित दर की 30 प्रतिशत बेटरमेन्ट लेवी ली जावे। 4. भवन के चारों ओर सौन्दर्यकरण हेतु भवन विनियम के नियम 8.11 (iii) के अन्तर्गत 23.07 वर्ग मीटर ऐलीवेशन फीचर प्रस्तावित किये है, जिसे समिति द्वारा स्वीकार किया गया। 5. राज्य सरकार के जारी आदेश दिनांक 02.08.2013 के

			अनुसार ऐसे आवेदक जिन्होनें भवन निर्माण अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु यह आदेश जारी होने से पूर्व भवन विनियमों के प्रावधानानुसार मय जाँच फीस जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार अनुज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया है उन्हें वर्तमान नियमानुसार पार्श्व व पृष्ठ सेटबैक न्यूनतम 6.0 मीटर अनुज्ञेय होगें। आवेदक द्वारा प्रस्तावित भवन मानचित्र में 6.0 मीटर सेटबैक पर 38.80 मीटर ऊँचाई मय स्टिल्ट प्रस्तावित की है, जिसे समिति द्वारा स्वीकार किया गया। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।
6.	146.6	भूखण्ड़ संख्या 20, 23, 65, 66 व 67, शिवराज निकेतन कॉलोनी, वैशाली नगर, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय परिसर के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गयेः– 1. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेन्ट पर प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तो की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः संशोधित मानचित्र के लिए अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद् का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे। 3. संशाधित भवन मानचित्र के लिए परीक्षण शुल्क लिया जावे। 4. 30 मीटर ऊँचाई तक अधिकतम अनुज्ञेय एफ.ए.आर. 225 की सीमा में मानक एफ.ए.आर से अधिक एफ.ए.आर के लिए आवासीय आरक्षित दर के 25 प्रतिशत की दर से बेटरमेंन्ट लेवी, 30 मीटर ऊँचाई से ऊपर अधिकतम अनुज्ञेय एफ.ए.आर 2.25 की सीमा में अतिरिक्त एफ.ए.आर के लिए रु. 300/– प्रति व.फु. की दर से बेटरमेंन्ट लेवी तथा 2.25 से अतिरिक्त एफ.ए.आर. के लिए बेटर मेन्ट लेवी निर्धारित दर आवासीय दर के 30 प्रतिशत की दर से 2.25, एफ.ए.आर तक ली जाने वाली बेटर मेन्ट लेवी की दर रुपये 300/- प्रति व.फु. से कम आती है। अतः उसी

			अनुपात में बेटर मेन्ट लेवी रुपये 360/– प्रति व.फु. की दर से बेटरमेन्ट लेवी ली जावे। 5. भवन विनियम–2010 में संशोधन बाबत् नगरीय विकास विभाग राज. सरकार से जारी आदेश दिनांक 02.08.2013 के बिन्दु संख्या से ''1000 वर्ग मीटर व इससे अधिक एवं 2500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के भूखण्डों में प्रस्तावित भवनों की ऊचाई 30 मीटर से अधिक एवं 40 मीटर तक प्रस्तावित किय जाने पर न्यूनतम पार्श्व व पृष्ठ सेटबैक 9 मीटर किया जाना अनिवार्य होगा। शेष प्रावधान यथावत रहेगे। ऐसे आवेदक जिन्होने भवन निर्माण अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु यह आदेश जारी होने से पूर्व भवन विनियमों के प्रावधानुसार मय जांच फीस जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर निगम द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार अनुज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया है उनमें वर्तमान नियमानुसार पार्श्व व पृष्ठ सेटबैक न्यूनतम 6 मीटर अनुज्ञेय होंगे।'' प्रश्नगत प्रकरण में आवेदक द्वारा निर्धारित हरी पत्रावली में मय जांच फीस दिनांक 14.06.2012 को आवेदन किया था। प्रकरण बी.पी.सी. (बी.पी.) की बैठक 11.07.2012 में रखा जाकर अनुमोदन का निर्णय लिया गया। अनुमोदित मानचित्र दिनांक 15.10.2012 को जारी किए गए। आवेदक द्वारा संशोधित भवन मानचित्र दिनांक 24.01.2013 को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किए गए। प्रकरण बी.पी.सी. (बी.पी.) की 131 वी बैठक दिनांक 05.03.2013 में प्रस्तुत कर भवन मानचित्रों का पुनः निरीक्षण किया जाकर प्रकरण को अग्रिम आदेशों तक स्थगित रखने का निर्णय लिया गया। आवेदक द्वारा दिनांक 08.08.2013 को बिना जांच फीस आवेदन प्रस्तुत कर नगरीय विकास विभाग राज. सरकार से जारी आदेश दिनांक 02.08.2013 के क्रम में पुनः विचार कर अनुमोदन हेतु निवेदन किया गया है, जिसे समिति द्वारा स्वीकार किया गया। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।
7.	146.7	भूखण्ड संख्या 32, पामकोर्टस योजना, जगतपुरा, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय भवन	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया

		के मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	कि प्रस्तावित भवन मानचित्र अनुमोदित किये जावे।
8.	146.8	खसरा नम्बर 2186/1, ग्राम–मुहाना, तहसील–सांगानेर, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय परिसर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि उपायुक्त जोन से स्पष्ट स्वामित्व एवं लेखा रिपोर्ट मंगवाई जावे। तदोपरान्त प्रकरण को पुनः आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।
9.	146.9	संस्थानिक भूखण्ड़ आनन्दलोक योजना, सीकर रोड़, जयपुर के प्रस्तावित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गयेः– 1. खुले में प्रस्तावित पार्किग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तो की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. संशोधित भवन विनियम–2012 के बिन्दु संख्या 10.1.15 के अनुसार सभी संस्थानिक परिसरों मं भूखण्ड के अग्र भाग में 6.00 मीटर पीछे हटकर बाउण्ड्री बनाई जाना आवश्यक है। जिससे मुख्य सड़क पर यातायात बाधित नहीं हो। जिसके क्रम में प्रस्तुत मानचित्रों में अग्र भाग में 6.00 मीटर छोडते हुए बाउण्ड्री प्रस्तावित की गई है, जिसे समिति द्वारा स्वीकार किया गया। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।
10.	146.10	साउथ एक्स योजना, ग्राम–मथुरावाला व अजयराजपुरा, टौंक रोड़, जयपुर के प्रस्तावित समूह आवासीय परिसर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गयेः– 1. बेसमेन्ट/खुले में प्रस्तावित पार्किग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तो की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रश्नगत प्रकरण में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 02.05.2012 के अनुसार EWS/LIG वर्ग हेतु 4205.96 व.मी. प्रस्तावित एफ.ए.आर क्षेत्रफल के 5 प्रतिशत के बराबर अर्थात् 201.30 व.मी. निर्मित क्षेत्र आरक्षित किया जाना अपेक्षित हैं। इस संबंध में आवेदक द्वारा दिनांक

			06.09.2013 को पत्र प्रेषित कर EWS/LIG वर्ग हेतु आवश्यक इकाइयों का प्रावधान भूखण्ड संख्या–82 भास्कर एन्क्लेव एफ–01 ग्ग्राम–काठावाला, तहसील चाकसू जयपुर पर प्रस्तावित किए जाने हेतु निवेदन किया गया है। ग्राम मथुरावाला व अजयराजपुरा की आरक्षित दर व डी.एल.सी. दर जो भी अधिक हो, की पुष्टि उपायुक्त जोन से करने के उपरान्त तदानुपात में EWS/LIG हेतु क्षेत्र आरक्षित करवाया जावे। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।
11	146.11	भूखण्ड संख्या 81, भास्कर एनक्लेव, एफ–1, ग्राम–काठावाला, तहसील–चाकसू, जयपुर के प्रस्तावित EWS एवं LIG फ्लैट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गयेः– 1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तो की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।
12.	146.12	भूखण्ड संख्या 82, भास्कर एनक्लेव, एफ–1, ग्राम–काठावाला, तहसील–चाकसू, जयपुर के प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गयेः– 1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तो की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रार्थी प्रश्नगत भूखण्ड पर EWS हेतु कुल 90 फ्लैट् तथा LIG हेतु कुल 20 फ्लैट् प्रस्तावित किये है, जिनमें से ग्राम मथुरावाला एवं अयजराजपुरा में स्थित निजी खातेदारी योजना साउथ एक्स के ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड हेतु स्वीकृत एफ.ए.आर. क्षेत्र 4205.96 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का 5 प्रतिशत क्षेत्र 201.30 वर्ग मीटर क्षेत्र आरक्षित करवाये जाने का प्रावधान है कि किन्तु ग्राम मथुरावाला एवं अजयराजपुरा की

			आरक्षित दर व डी.एल.सी. दर जो भी अधिक हो, की पुष्टि उपायुक्त जोन से करने के उपरान्त तदानुपात में EWS/LIG हेतु क्षेत्र आरक्षित करवाया जावे। आवेदक का द्वितीय प्रस्ताव ग्राम नृसिंहपुरा उर्फ रिक्शा के खसरा नम्बर 123, 124, 133/659 के ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड हेतु स्वीकृत एफ.ए.आर. क्षेत्र 22158.56 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का 5 प्रतिशत क्षेत्र 1107.93 वर्ग मीटर क्षेत्र आरक्षित करवाये जाने का प्रावधान है कि किन्तु ग्राम नृसिंहपुरा उर्फ रिक्शा की आरक्षित दर व डी.एल.सी. दर जो भी अधिक हो, के अनुपात में EWS/LIG हेतु क्षेत्र आरक्षित करवाया जावे एवं उपायुक्त जोन से दोनों क्षेत्र की आरक्षित दर व डी.एल.सी. दर की सूचना प्राप्त की जावे। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

27/9/13

सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.),
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

परिशिष्ट–"1"

भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 146वीं बैठक दिनांक 18.09.2013 को सायं: 3.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:–

1.	श्री अभय कुमार, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।	अध्यक्ष
2.	श्री बिष्णु चरण मल्लिक, सचिव, जविप्रा, जयपुर।	सदस्य
3.	श्रीमती लवंग शर्मा, निदेशक आयोजना, जविप्रा जयपुर।	सदस्य
4.	श्री अनिल अग्रवाल अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन), जविप्रा, जयपुर।	सदस्य
5.	श्री दीपक नंदी, अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम), जविप्रा, जयपुर।	सदस्य
6.	श्री त्रिभुवनपति, अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व), जविप्रा, जयपुर।	सदस्य
7.	श्री नीरज तिवाड़ी, अति.मु.न.नि. बीपीसी, जविप्रा, जयपुर।	सदस्य सचिव

विशेष आमंत्रितः–

8. श्रीमती साधना शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक बीपीसी, जविप्रा, जयपुर।
9. श्री शमशुद्दीन, अधिशाषी अभियन्ता (बीपीसी), जविप्रा, जयपुर।

27/9/13

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति (बीपी)

क्रमांक जविप्रा अति.मु.न.नि. / बीपीसी / 2013 / डी– 2127 दिनांकः– 27/9/2013

प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
4. अति0 आयुक्त (पूर्व) / (प्रशासन) / (एलपीसी) / (भूमि) एवं बीआरटीएस, जविप्रा, जयपुर।
5. मुख्य नियंत्रक (प्रवर्तन), जविप्रा, जयपुर।
6. उपायुक्त जोन.........जविप्रा, जयपुर।
7. सहायक निदेशक, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।

27/9/13

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति (बीपी)